




न्यायालय उपखण्ड.....अधिकारी.....कठूमर जिला अलवर

संख्या नं. 2/196/19

तारीख रजु.....

प्यारे _____ बनाम _____

चिरंजी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 724 वाके ग्राम चौहरीकानगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रुकावट एवं मजसहमत न करें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 16.1.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 16.01.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p>	<p>31/10 पत्रावली आज 31/10 पत्र 9 मूल वाद के साथ एक पत्र इति आदि ने 31/10 पत्र पेश कर अपने 31/10 पत्र 212 RAJA को पलका नई पेश है उक्ते 31/10 पत्र के अन्तर्गत कराने का निवेदन किया / 31/10 पत्र 212 RAJA पत्र के 31/10 पत्र के अन्तर्गत कराने का निवेदन किया जाता है पत्रावली के मूल हुक्म के मूल वाद साथ संकेत रहे। पुनामा/8</p> <p style="text-align: right;">   8800K </p>